न्यायालय : मुंसिफ प्रथम , मधुबनी

T.S.-04/2022
CIS-48/2022

रामवातर यादव.......वादी
बनाम
गणेष्वर यादव.......प्रतिवादी

Date		Remarks
28.02.2024	उभयपक्षों की वकालतन हाजरी। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 29.01.2024 को कुछ दस्तावेजों को प्रदर्ष कराने हेतु दिया गया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा कुल दस्तावेजों का प्रदर्ष कराया जाना न्यायहित में जरूरी है। वह दस्तावेज अभिलेख पर पूर्व से दाखिल है। प्रतिवादी वादी के आवेदन का मौखिक विरूद्ध करते है और कहते है कि वादी का आवेदन पोषणीय नहीं है तथा काफी विलम्ब से जमा किया गया है। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि वादी द्वारा दिनांक 25.04.2023 को आवेदन में वर्णित दस्तावेज दाखिल की गयी थी, जो अभिलेख पर है। वादी द्वारा यह दस्तावेज इस वाद में दस्तावेज दाखिल करने में स्टेज समाप्त हो जाने के बाद दाखिल किया गया है। यह सभी दस्तावेज लोक दस्तावेज है। इसे वाद के उचित रूप से निर्णिणय एवं न्यायहित में इस दस्तावेज को प्रदर्ष करना उचित प्रतित होता है। चूंकि वादी द्वारा उक्त दस्तावेज काफी विलम्ब से दाखिल किया गया है। ऐसे में वादी के आवेदन दिनांक 29.01.2024 को कुल मो0 400/–रू0 की लागत पर स्वीकार किया जाता है, जो प्रतिवादी को देय है। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज पुराना सर्वे खतियान खाता सं0 135 को प्रदर्ष सं0 02, नया सर्वे खतियान खाता सं0 435 प्रदर्ष सं0 02/ए, केवाला दिनांक 23.03.1945 रामजी राउत बनाम बंगाली यादव के सत्यापित प्रति को प्रदर्ष सं0 03 तथा एकरारनामा लदावी दिनांक 16.06.1977 श्रीधेष्वर यादव वगैरह बनाम बंगाली यादव को प्रदर्ष सं0 04 अंकित किया जाता है। दिनांक वास्ते वादी साक्ष्य हेतु। लेखापित ह0/– मु0 प्र0	